



2026:AHC: 4007

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19560 वर्ष 2025

शशिकला

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

देवेश मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस के दिवंगत उप-निरीक्षक स्वर्गीय कन्हैया लाल की विधवा हैं, जिनकी नियुक्ति 10.10.1998 को हुई थी और उनका निधन 19.06.2023 को हो गया था, हालांकि, एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया और वह भी याचिकाकर्ता को तामील नहीं किया गया, जिसमें 2,32,152/- रुपये की राशि वसूल ली गई। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि इस संबंध में कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार जब वसूली करने की मांग की जा रही है, वह भी आकस्मिक दावे से संबंधित, तो विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है और वह लघु दंड का रूप ले लेती है और यदि अधिक भुगतान किया गया है तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन उक्त प्रक्रिया का अभाव है और याचिकाकर्ता के पति का पहले ही निधन हो चुका है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार और परीक्षण किया जाएगा।

4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित की जाती है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) याचिकाकर्ता 27.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, जिला कुशीनगर के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेंगी; (ख) जिस पर याचिकाकर्ता को नोटिस देते हुए दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश